Dr. Akhlakh Ahmad.
(Asst. Prof.)
D.N. College Dumraon.

प्रश्न :- संविधानवाद क्या है ? संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर :-

किसी भी देश का संविधान वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए ढाँचा प्रस्तुत करता है। अतः संविधानों का अध्ययन चिरकाल से राजनीति के अध्ययन का आवश्यक अंग रहा है। सांविधानिक अध्ययन के अग्रणी सिद्धांतकारों में जेम्स ब्राइस और के०सी० ह्वीयर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ब्राइस और ह्वीयर दोनों ने राजनीतिक प्रणाली के संस्थात्मक संगठन पर विशेष बल दिया है तथा C.F. Strong और अन्य सिद्धांतकारों ने संविधान को सत्ताधारियों की शक्ति पर अंकुश रखने का साधन माना है। संविधानवाद का अर्थ समझने से पहले संविधान का भी अर्थ समझना आवश्यक है।

Meaning of Constitution :-

प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का होना अत्यंत आवश्यक है। संविधान के बिना किसी भी राज्य का शासन चलना अत्यंत कठिन है। इतिहास के अध्ययन के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में शासन को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम सदा से किसी न किसी रूप में अवश्य रहे हैं। प्रत्येक राज्य में चाहे वे लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी, कुछ ऐसे नियमों का स्वीकार किया जाना आवश्यक है जो राज्य की राजनीतिक संस्थाओं व शासकों की भूमिका को निर्धारित व सुनिश्चित कर अराजकता से समाज को मुक्त रख सके। सरकार चाहे निरंकुश हो या लोकतन्त्रात्मक, उनके संचालन के लिए कुछ सिद्धांतों अथवा नियमों का होना सदैव सहायक होता है।

संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का समूह है जिनके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है और शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है तथा उन सिद्धांतों का निर्धारण होता है जिनके अनुसार वे शक्तियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं।

According to James Bryce - "संविधान राजनीतिक समाज का वह ढाँचा है जिसे कानून के माध्यम से कानून के द्वारा संगठित किया गया है अर्थात् जिसमें कानून ने ऐसी स्थायी संस्थाएँ स्थापित कर दी हैं जिनके लिए

मान्यताप्राप्त कार्य और सुनिश्चित अधिकार जुड़े हैं।"

According to C.F. STRONG :- "संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों नागरिकों के अधिकारों और दोनों के सम्बन्धों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है।"

According to Mckintosh - "संविधान उन लिखित तथा अलिखित आधारभूत कानूनों का समूह है जो उच्च पदाधिकारियों के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारों और जनता के सर्वोच्च विशेषाधिकारों को मर्यादित करते हैं।"

जब संविधान के अनुसार या अनुरूप राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग नहीं होता है तो ऐसे संविधान को औपचारिक संविधान कहा जाता है। दूसरी तरफ व्यवहार में विधि और 'औपचारिक' संविधान के प्रतिकूल राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग होता है तो ऐसे संविधान को प्रभावी संविधान कहा जाता है। As - 'औपचारिक' संविधान के अनुसार ब्रिटेन में राजतन्त्र है, परन्तु राजनीतिक शक्तियों का व्यवहार में वास्तविक प्रयोग इसे संसदीय लोकतंत्र की श्रेणी में ला देता है।

औपचारिक दृष्टि से रूस का संविधान श्रेष्ठतम संसदीय लोकतंत्र व संघात्मक शासन की स्थापना करता है। परन्तु व्यवहार में यहाँ शासन संविधान की धाराओं के अनुरूप न होकर साम्यवादी दल के आदेशों के अनुसार चलता है।

संविधान राजनीतिक व्यवस्था का चरित्र या प्रकृति स्पष्ट करता है क्योंकि संविधान राज्य के लिए वैसा ही है जैसा व्यक्ति के लिए चरित्र। यह न केवल 'राजनीतिक खेल' का आधार प्रस्तुत करता है अपितु विभिन्न राजनीतिक खिंचावों व मांगों में सामंजस्य की अभिव्यक्ति भी करता है।

C.F. STRONG Says - "A Constitution may be said to be a Collection of principles according to which the powers of the government the rights and govern and the relation between the two are adjusted."

संविधान के साथ-साथ संवैधानिक सरकार का भी अर्थ जानना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

⇒ Meaning of Constitutional Govt (संवैधानिक सरकार का अर्थ) :-

हर राज्य में संविधान तो अनिवार्यतः होता है पर संवैधानिक सरकार हो यह कोई जरूरी नहीं है। संवैधानिक सरकार वह सरकार ही होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित हो, तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही संचालित होती हैं। Hitler and Stalin के समय में जर्मनी व रूस में संविधान थे पर संवैधानिक सरकार नहीं थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनमें राजनीतिक आचरण का आधार संविधान नहीं होकर व्यक्ति या दल की महत्वाकांक्षाएं ही कही जा सकती हैं। केवल वही सरकार संवैधानिक सरकार कही जाएगी जो संविधान पर आधारित हो, संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित हो व स्वेच्छापूर्वकता के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही संचालित होती हो। Constitutional government means a government according to rules and opposed to arbitrary action.

⇒ Meaning of Constitutionalism (संविधानवाद का अर्थ) :—

संविधानवाद के विख्यात अंग्रेजी व्याख्याकार सी० एच० मैकिलवैन ने 1939 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "Constitutionalism in a Changing world" में यह विचार व्यक्त किया था— "There is an important problem of Constitutionalism in modern age." संविधानवाद एक ऐसे मूल्य का प्रतीक है जो राजनीतिक प्रक्रिया के लिए विधि-सम्मत ढाँचे की अपेक्षा करता है ताकि उसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके।

संविधानवाद उन विचारों व सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान का विवरण व समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों व आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों व सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाए व ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों को प्रतिबंधित व सीमित रखा जाए जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहें और व्यवहार में हर व्यक्ति को उपलब्ध हो सकें।

Scanned with CamScanner

"संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो मनुष्य संविधान में निहित शक्ति में रखते हैं, जिससे सरकार व्यवस्थित बनी रहती है।" संविधानवाद राजनीतिक शक्तियों का विभाजन कर सरकार के कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करता है। अतः संविधानवाद तभी सम्भव है जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति विभाजन के द्वारा सरकारी कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

संविधान के माध्यम से किसी भी देश के राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात् सरकार के स्वरूप, उसकी शक्तियाँ व नागरिकों और सरकार के सम्बन्धों से सम्बंधित सिद्धांतों व नियमों का संकेत पाते हैं। जबकि संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संविधान के माध्यम से ही सरकार की शक्तियों पर शक्ति वितरण द्वारा प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित नियंत्रण किया जाता है।

Pennock and Smith Say – "संविधानवाद केवल प्रक्रिया या तथ्य का नाम ही नहीं है अपितु राजनीतिक सत्ता के सुविस्तृत समूहों, दलों व वर्गों पर प्रभावशाली नियंत्रणों, अमूर्त तथा व्यापक प्रतिनिध्यात्मक मूल्यों, प्रतीकों, अतीतकालीन परम्पराओं और भावी महत्वाकांक्षाओं से सम्बद्ध भी है।"

According to Carl J. Freidrich – "व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है।"

⟹ संविधान और संविधानवाद में अंतर :—

(a) परिभाषा की दृष्टि से संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है। इसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श आते हैं, जिनसे मिलकर विचारधारा बनती है और उस विचारधारा का प्रतीक संविधानवाद कहलाता है। वहीं संविधान संगठन का प्रतीक है। यह उन सिद्धांतों का संकलन है जिनके अनुसार सरकार की शक्तियों व शासितों के अधिकारों के मध्य सम्बन्धों का समायोजन किया जाता है। इससे सरकार, व्यक्ति व समाज के संगठनों का आपसी सम्बन्धों का बोध होता है। इनमें पारस्परिकता

व पूरकता का सम्बन्ध है। इनमें साम्य, समाज में व्यवस्था, स्थायित्व व प्रगतिशीलता का सूचक है। दोनों में साम्य न रहने पर, अर्थात् दोनों की दिशाओं का अलग-अलग होना क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करता है।

(ख) उत्पत्ति की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। संविधानवाद हमेशा ही विकास का परिणाम रहा है। हर देश के मूल्य, विश्वास व आदर्शों का विकास शताब्दियों के आवरण में तथा समय की परिधि में धीरे-धीरे होता है। संविधान, केवल ब्रिटेन के संविधान को छोड़कर, साधारणतया निर्मित होते हैं। तथा बाद में परम्पराओं के माध्यम से संविधानवाद की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतः बदलते ढलते जाते हैं। स्वतः नहीं बदलते, पर औपचारिक संशोधनों से संविधानों को संविधानवाद के अनुरूप बनाए रखा जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से संविधान सुनिश्चित प्रयत्नों से निश्चित अवधि में निर्मित होते हैं, जबकि संविधानवाद, वास्तव में मूल्यों की व्यवस्था ही होने के कारण, लम्बी अवधि में विकसित होता है।

(ज) संविधान व संविधानवाद में प्रकृति का भी मौलिक अन्तर है। संविधानवाद में प्रधानता किसी राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों की होती है। अन्ततः हर समाज एक गन्तव्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है, और गन्तव्यों की प्राप्ति की व्यवस्था ही संविधानवाद का मूल है। जबकि संविधान प्रमुखतया उन गन्तव्यों तक पहुंचने के साधनों की सुव्यवस्था है। यह संविधानवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साधन जुटाने का नाम है। अतः संविधानवाद साध्य-प्रमाण और संविधान साधन-प्रधान धारणा है।

(घ) क्षेत्र की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। संविधानवाद अन्तर्भूतकारी (Inclusive) तथा संविधान अपवर्जक (exclusive) धारणा है। संविधानवाद कई देशों का एक-सा हो सकता है। एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श व संस्कृति के प्रति अन्य देश भी निष्ठा रख सकता है। संस्कृति, मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श कई देशों के एक से हो सकते हैं। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि

Scanned with CamScanner

हर देश का अपना अलग मौलिक संविधानवाद होता है। Anglo-American जिसे पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं इन राष्ट्रों के संविधानवाद में समानता का संकेत करती है। साम्यवादी देशों में भी कई देशों में राजनीतिक मूल्यों व आदर्शों का एक सा होना, संविधानवाद की एकरूपता परिलक्षित करती है।

संविधान प्रत्येक देश का अलग-अलग होता है। विभिन्न राज्यों के संविधानों में मात्रा और प्रकार दोनों ही का अन्तर देखने को मिलता है। संविधान से सीमित धारणा का बोध होता है। यह राज्य विशेष का ही रहता है। जिस प्रकार हरेक मनुष्य का शरीर अलग-अलग होता है, ठीक उसी प्रकार हर राज्य का संविधान अलग व विशिष्ट होता है। लेकिन हरेक मनुष्य में प्राण या आत्मा मोटे रूप से समान ही होते हैं। इसी तरह अनेक राज्यों में संविधानवाद की समानता भी दिखाई देता है।

(ङ.) दोनों का अंतर औचित्य व वैधता के आधार पर किया जाता है। संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः विचारधारा (ideology) के आधार पर होता है जबकि संविधान की वैधता विधि या कानून के आधार पर ठहराई जाती है।

Dr. Akhlakh Ahmad.

Scanned with CamScanner